योजना मंत्रालय

मांग संख्या 72

योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		48.21	30.56	78.77	17.00	30.41	47.41	6416.00	30.88	6446.88
पूंजी		...	...	...	...	...	...	*3684.00*	...	*3684.00*
जोड़		**48.21**	**30.56**	**78.77**	**17.00**	**30.41**	**47.41**	**10100.00**	**30.88**	**10130.88**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.36	0.36	...	0.23	0.23	...	0.27	0.27
2. योजना आयोग	3451	10.00	26.60	36.60	8.90	26.69	35.59	69.00	27.11	96.11
3. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता	3475	3.00	...	3.00	2.58	...	2.58	8.00	...	8.00
	3601	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
	जोड़	*3.10*	...	*3.10*	*2.60*	...	*2.60*	*8.05*	...	*8.05*
4. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	2406	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
5. नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान- केन्द्रीय योजना	3475	...	...	...	...	...	...	4225.00	...	4225.00
	5475	...	...	...	...	...	...	1775.00	...	1775.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*6000.00*	...	*6000.00*
6. नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान- राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	3601	...	...	...	...	...	...	2039.00	...	2039.00
	3602	...	...	...	...	...	...	52.00	...	52.00
	7601	...	...	...	...	...	...	1861.00	...	1861.00
	7602	...	...	...	...	...	...	48.00	...	48.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*4000.00*	...	*4000.00*
7. अन्य	3475	10.11	3.60	13.71	5.50	3.49	8.99	22.95	3.50	26.45
कुल जोड़		***48.21***	***30.56***	***78.77***	***17.00***	***30.41***	***47.41***	***10100.00***	***30.88***	***10130.88***
ख आयोजना परिव्यय*:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवा	13451	10.00	...	10.00	8.90	...	8.90	69.00	...	69.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	13.21	...	13.21	8.10	...	8.10	6031.00	...	6031.00
3. राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन	12406	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		**48.21**	**...**	**48.21**	**17.00**	**...**	**17.00**	**6100.00**	**...**	**6100.00**
राज्य योजना										
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	43601	...	...	...	...	...	...	3900.00	...	3900.00
संघ राज्य क्षेत्र योजना										
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र										
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	43602	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**4000.00**	**...**	**4000.00**
जोड़		**48.21**	**...**	**48.21**	**17.00**	**...**	**17.00**	**10100.00**	**...**	**10100.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसमें केन्द्रीय मंत्रालय के सचिवालय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्डः**

(क) इसमें कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) आयोजना स्कीम "कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" का प्रचालन कार्यालय परिसरों तथा उपकरण इत्यादि के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए किया जा रहा है।

(ग) (i) जैसा कि "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000" में परिकल्पना की गई थी, जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी तथा इसके बजट को योजना आयोग के बजट में शामिल किया जा रहा है।

(ग) (ii) जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पीआरआई/एनजीओ, वीओ, वाईओ तथा अन्य संगठनों को सहायतानुदान की एक नई योजना के अंतर्गत विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति, साफ्टवेयर के विकास तथा अनुरक्षण इत्यादि पर व्यय की पूर्ति हेतु एक पृथक बजट प्रावधान बनाने के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी" शीर्ष खोला गया है।

3. **यूएनडीपी सहायताः** राज्य मानव विकास रिपोर्टें तैयार करने के लिए यूएनडीपी सहायता के लिए व्यवस्था की गई है।

5 और 6. 6000 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए है। इसी प्रकार, 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के तहत नई/पुनः संरचित योजनाओं के लिए है। ये नई/पुनः संरचित योजनाएं राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करेंगी। काम के बदले भोजन कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि एवं सड़कों में निजी निवेश इत्यादि जैसे कार्यक्रमों/योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा।

7. **अन्य**

(क) योजना आयोग की रुचि के अनुसंधान अध्ययन करने के लिए अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

(ख) नरेला परिसर में आधारभूत ढ़ांचे की सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए "आईएएमआर को सहायता-अनुदान" प्रदान करने के लिए।

(ग) विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थाओं के विकास इत्यादि के लिए सहायता अनुदान।

(घ) "व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" योजना के अंतर्गत भुगतान।

(ङ) राष्ट्र विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को शामिल करते हुए एक व्यापक डाटा बैंक बनाने के लिए तथा राज्य विकास रिपोर्टें आदि तैयार करने के लिए योजना 50वें वर्ष की पहल।

सं.72/योजना मंत्रालय